

23/2023 लैरु ऑफ कडोदा कनाम मै. सेक एगो.

12<sup>04</sup>/<sub>2023</sub>

अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी को प्रा०पत्र शीघ्र सुनवाई पर सुना गया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। मूल प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.4.2023 नियत है, जो नजदीकी तारीख पेशी है। प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई खारिज किया जाना हम न्यायोचित समझते हैं। अतः प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल प्रकरण के सलग्न रहे।

जिला कलक्टर  
दौसा

